



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैरइरादतन हत्या के अभियोग में 03 अभियुक्तों को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹66,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु0अ0सं0-327/2014 धारा- 304,323,325,504/34 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.बसन्तराज पुत्र देवपाल 2.चन्दन सिंह पुत्र बसन्तराज 3.लाल भैया पुत्र बसन्तराज निवासीगण मलेहटा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹66,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी राजेश कुमार
तिवारी



विवेचक-
उ0नि0 भोजराज
अवस्थी



पैरोकार- थाना मझगवां
का0 सर्वज्ञ